

## न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली

### प्रलिस के लिये:

कॉलेजियम प्रणाली, भारत के मुख्य न्यायाधीश ।

### मेन्स के लिये:

कॉलेजियम प्रणाली का विकास और इसकी आलोचना ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम](#) ने न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सफारिश की है ।

## कॉलेजियम प्रणाली और इसका विकास:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संवधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणयों के माध्यम से वकिसति हुई है ।
- **कॉलेजियम प्रणाली का विकास:**
  - **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
    - इसने यह नरिधारति कयिा क न्यायकि नयुक्तयिों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "टोस कारणों" से अस्वीकार कयिा जा सकता है ।
    - इस नरिणय ने अगले 12 वर्षों के लयिे न्यायकि नयुक्तयिों में न्यायपालकिा पर कार्यपालकिा की प्रधानता स्थापति कर दी है ।
  - **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है ।
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की वयक्तगित राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरषिठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी ।
  - **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
    - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेज़िडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय नकिय के रूप में कॉलेजियम का वसितार कयिा, जसिमें CJI और उनके चार वरषिठतम सहयोगी शामिल होंगे ।

## कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख:

- **सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा** की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरषिठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं ।
- **एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरषिठतम न्यायाधीश करते हैं ।**
  - उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नयुक्त के लयिे अनुशंसति नाम **CJI और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद** ही सरकार तक पहुँचते हैं ।
- **उच्च न्यायपालकिा के न्यायाधीशों की नयुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से** ही की जाती है और इस प्रक्रयिा में सरकार की भूमकिा कॉलेजियम द्वारा नाम तय कयिे जाने के बाद की प्रक्रयिा में ही होती है ।

## वभिन्नि न्यायकि नयुक्तयिों के लयिे नरिधारति प्रक्रयिा:

- **भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI):**
  - **CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नयुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है ।

- अगले CJI के संदर्भ में **नविवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सफ़िरशि** करता है।
- हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतलिघन वविाद के बाद से व्यावहारिक रूप से इसके लिये **वरषिठता के आधार का पालन** किया जाता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ::**
  - सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिये नामों के चयन का **प्रस्ताव CJI द्वारा** शुरू किया जाता है।
  - CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के वरषिठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिये अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है।
  - निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
  - इसके पश्चात् कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सफ़िरशि भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
- **उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लिये:**
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा।
  - यद्यपि उनके चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सफ़िरशि CJI और दो वरषिठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
  - हालाँकि इसके लिये प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के नविवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरषिठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है।
  - यह सफ़िरशि मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिये राज्यपाल को सलाह देता है।
- **कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना:**
  - सपष्टता एवं पारदर्शिता की कमी।
  - भाई-भतीजावाद जैसी वसिगतियों की संभावना।
  - सार्वजनिक विवादों में उलझना।
  - कई प्रतभाशाली कनिषिठ न्यायाधीशों और अधविकताओं की अनदेखी।
- **नियुक्ति प्रणाली में सुधार हेतु किये गए प्रयास:**
  - इसे 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से) द्वारा प्रतसिथापित करने के प्रयास में वर्ष 2015 में न्यायालय ने इस आधार पर खारजि कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा है।

## आगे की राह

- कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए रक्तियों को भरना एक सतत् और सहयोगी प्रक्रिया है और इसके लिये कोई समय-सीमा नहीं हो सकती है। हालाँकि यह एक स्थायी, स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने का समय है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिये न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है लेकिन न्यायिक वशिषिठता की नहीं।
- इसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिये, वविधिता को प्रतबिबिति करना चाहिये, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस